

# कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, दौसा (राज0)

क्रमांक:-परि/नीलामी/2023-24/2905

दिनांक:- 19/05/2023

## संशोधित नोटिस एवं नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय की क्रमांक सं0 परि/नीलामी /2023-24/2821 दिनांक 12.05.2023 को जारी नोटिस एवं नीलामी सूचना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, दौसा द्वारा माननीय न्यायालय, मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, भरतपुर (राज.) के आदेशों की पालना में पुलिस थाना महवा पर जब्तशुदा वाहन को नियमानुसार गठित नीलामी कमेटी द्वारा दिनांक 01.06.2023 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होने पर बोलीदाता नीलामी में भाग नहीं ले सकेगा। इस वाहन के स्वामी को जावेगा। निर्धारित समय पश्चात् उपस्थित होने पर बोलीदाता नीलामी में भाग नहीं ले सकेगा। इस वाहन के स्वामी को नियमानुसार जारी नोटिस बकाया राशि से अवगत कराने संबंधी कार्यवाही कर दी गई है फिर भी यदि कोई व्यक्ति/संस्थान बकाया राशि जमा कराना चाहते हैं तो नीलामी तिथि से एक दिवस पूर्व तक राशि जमा करवाकर वाहन मुक्त करा सकते हैं। यह वाहन स्वामी के लिए जरिये विज्ञप्ति/सूचना अंतिम अवसर होगा। नीलामी हेतु प्रस्तावित वाहन का विवरण निम्नानुसार है

क्र0सं0	जब्तशुदा वाहन	मॉडल	वाहन का प्रकार	जब्त स्थान	न्यूनतम बोली राशि
1	RJ29 GA 4409 OLD REG. NO RJ29 G 0580	2000 TATA SFC 709 EX /38	LGV	पुलिस थाना महवा जिला दौसा	70,000/-रु

उपरोक्त नीलाम किये जाने वाले वाहन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्थान को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो उक्त नीलामी सूचना प्रकाशन की तिथि से 05 दिवस में कार्यालय में अपनी लिखित आपत्ति मय साक्ष्य प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, दौसा को प्रस्तुत कर सकते हैं।

नियम एवं शर्तें:-

1. वाहन की नीलामी जहां है, जैसी है, स्थिति में की जावेगी।
2. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/बिडर को नीलामी से पूर्व न्यूनतम 10,000/- रु0 अर्नेस्ट मनी के रूप में नगद जमा करानी होगी, जो बोली अस्वीकार होने पर लौटा दी जाएगी।
3. इस वाहन को किसी व्यक्ति संस्था अथवा बैंक द्वारा वित्तपोषित किया हुआ हो तो नीलामी की दिनांक से एक दिवस पूर्व तक सम्पूर्ण बकाया राशि जमा करवाकर अपना ऐतराज/दावा प्रस्तुत कर सकेगा।
4. नीलामी की अंतिम बोली जिस व्यक्ति/संस्था के नाम छूटेगी उसको नीलामी राशि की एक चौथाई राशि तत्काल नगद जमा करवानी होगी तथा शेष राशि 7 दिवस (राजकीय अवकाश सहित) के अन्दर जमा करवानी होगी अन्यथा पूर्व में जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. नीलामी के संबंध में अंतिम निर्णय यथा निरस्त/स्थगित करने का सम्पूर्ण अधिकारी नीलामी कमेटी में निहित होगा। वाहन पर देय बिक्री कर नियमानुसार अंतिम बोली छूटने वाले व्यक्ति को संबंधित विभाग में जमा करवाकर एनओसी देनी होगी।
6. वाहन का अवलोकन नीलामी दिनांक से पूर्व पुलिस थाना महवा सीज स्थान पर (जहां है जिस स्थिति में है) किया जा सकता है।
7. जिन वाहन के चेचिस क्रमांक अछूरे/अस्पष्ट है उनकी नीलामी की जा रही है। ऐसी वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र विभाग द्वारा नहीं दिया जावेगा।
8. सरकार एवं विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश एवं GF & AR के नियम लागू होंगे।

जिला परिवहन अधिकारी  
दौसा

दिनांक 19/05/2023

क्रमांक परि/निविदा/2023-24/2906-2917

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान उपनिदेशक ( विज्ञापन) सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त नोटिस एवं नीलामी सूचना को एक क्षेत्रीय अथवा राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र के स्थानीय संस्करण में न्यूनतम जगह में DTPR दरों पर अतिशीघ्र प्रकाशित करवाकर बिल दो प्रतियों में इस कार्यालय को भिजवाना की कृपा करें।
2. श्रीमान संयुक्त निदेशक ( सिस्टम ऐनालिस्ट ) परिवहन विभाग जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त नीलामी सूचना विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
3. श्रीमान क्रोधाधिकारी कोष कार्यालय दौसा।
4. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय हाजा।
5. लेखा/स्टोर कीपर कार्यालय हाजा।
6. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा, कलेक्ट्रेट, जिला परिषद, नगरपालिका, कबाडी।
7. रक्षित पत्रावली।

जिला परिवहन अधिकारी, दौसा

d/chagan lal / vehicle nilami